## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /09/2022

1—किशनसिंह पुत्र सम्पतराम

2—मोहन सिंह पुत्र सम्पतराम (मृतक) जाति जाट निवासी ऊंदरा

2/1—विमला बेबा मोहनसिंह

2/2—राजवीर (मृतक)

2/2/1—प्रतिक्षा

2/2/2—जैपिका 11 साल। नावालिगान व विलायत सरपरस्त माता खुद

2/2/3— रक्षित 8 साल । प्रतिक्षा पत्नी राजवीर

2/3—संजय

2/4—रोहतान सिंह

.....अपीलार्थी

**बनाम**

...धर्मा पुत्र कुन्दन
3—भगवानसिंह पुत्र कंचन
4—सुघडसिंह पुत्र कंचन
} जाति जाटव निवासी ऊंदरा तहसील व जिला भरतपुर

...... रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश दिनांक 4—5—2022 न्यायालय तहसील भरतपुर प्रकरण संख्या 2/2021 उनवानी धर्मा वगै0 बनाम किशनसिह वगै0 अन्तर्गत धारा 183 बी आर. टी.एक्ट

———

**उपस्थितः—**

1—श्री सोनीराम शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट,

2—जितेन्द्र कुमार कर्दम रेस्पो न.1

**<u>निर्णय</u>** **दिनांक 30.04.2025**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ तहसीलदार भरतपुर आदेश दिनांक 04.05.2022 पेश की गई है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.2022 में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 183बी आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 316/0.74 है0 में प्रार्थीगण के हिस्से 30/74 पर किये गये नाजायज कब्जे को तुरन्त प्रभाव से खाली करने/हटाये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो. संख्या 2, व 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। रेस्पो. संख्या 1 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली नत्थीबद्ध की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं योग्य अभिभाषक रेस्पो. की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 316/0.74 ग्रांम ऊंदरा में सहखातेदार हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि जब सहखातेदारान के मध्य कब्जे को लेकर विवाद हो तो उसका निवारण केवल बटवारे दावा में ही हो सकता है, धारा 183 बी आरटी एक्ट के तहत नहीं हो सकता है। विवादित आराजी के विभाजन को लेकर सक्षम न्यायालय में दावा विचाराधीन है, विचाराधीन दावे पर तहत न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया और नियमों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो काबिल खारिज के रहता है। रेस्पो. अपने साविक रकवा से अधिक रकवा, गलत इन्द्राज की आड में प्राप्त करना चाहते हैं, हाल आराजी खसरा नम्बर 316/0.74 साविक नम्बरान 282 व 283 से मिला कर बनाया गया है। खसरा नम्बर 282 में अपीलान्टान 2 बीघा 10 विस्वा के तथा रेस्पो. 1 बीघा 17 विस्वा के खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। खसरा नम्बर 283 रकवा 5 बीघा अपीलान्टान की खातेदारी का है इस प्रकार अपीलान्टान की खातेदारी में खसरा नम्बर 282 का 2 बीघा 10 विस्वा एवं 283 का 5 बीघा, कुल 7 बीघा 10 विस्वा रकवा है तथा रेस्पो. की खातेदारी में खसरा नम्बर 282 का 1 बीघा 17 विस्वा रकवा है बंदोवस्त द्वारा साविक खसरा नम्बरान 282 व 283 से 216/0.74 व 217/0.21 बनाये हैं जिनमें से खसरा नम्बर 217/0.21 जो कि रेस्पो. की खातेदारी में अंकित है तथा खसरा नमबर 282 से ही बनाया गया है और उनके कब्जे हैं रेस्पो. का खसरा नम्बर 216/0.74 में भी 30 एअर पर खातेदार दर्ज कर दिया है बंदोवस्त विभाग द्वारा रेस्पो. को 216/0.74 में गलत दर्ज कर दिया है यह रकवा अपीलान्टान की खातेदारी का ही है, तहत न्यायालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। हाल खसरा नम्बरा 316/0.74 ग्रांम ऊंदरा में हो रहे गलत इन्द्राज की दुरुस्ती हेतु दावा भी अपीलान्टान ने सहायक कलेक्टर भरतपुर के न्यायालय में पेश किया हुआ है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि सहखातेदारी में भूमि के प्रत्येक इंच पर भूमि पर कब्जा माना जाता है तहत न्यायालय ने आदेश में तहत विवादित आराजी खसरा नमबर 316/0.74 में किस ओर कब्जा दिलाया जावेगा और फिर किस आधार पर दिलाया जावेगा इसका अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख नहीं है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर, नियमों के विपरीत तहत न्यायालय के विवादित आदेश को निरस्त किया जावे।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 316/0.74 है0 उभय पक्षकारान सहखातेदार दर्ज है। मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीयान अपने हिस्से मुताविक कब्जा काश्त कर रहे थे।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रतिवादीगण लट्ठ के बल पर रेस्पो. को अपने काबिज हिस्सा आराजी पर काश्त नहीं करने देते हैं, और अपीलान्ट ने लट्ठ के बल से हमारे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। योग्य अभिभाषक ने जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है तहत न्यायालय ने रेस्पो. के मौके पर हिस्से आराजी से अपीलान्ट को बेदखल कर हमारा हिस्सा दिलाये जाने के उचित आदेश दिये है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में दावा विचाराधीन है, वहॉ निर्णय में देर लगेगी। ऐसा स्थिति में रेस्पो. अपने हिस्से आराजी में फसल वगे. बोने से महरुम रहेगें क्यों कि अपीलान्ट ने लट्ठ के बल पर हमारी हिस्से आराजी पर कब्जा किया हुआ है, परिवार के लालन पालन के लिये फसल बोना करना जरुरी है, ऐसी स्थिति में मौके पर कब्जे अनुसार हमारी हिस्सा आराजी से बेदखली का जो आदेश तहत न्यायालय ने दिया है वह सही है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावलियों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 4.5.2022 का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किया।

प्रकरण में यह तय किया जाना है कि क्या अनुसूचित जाति की भूमि हिस्से पर सर्वण जाति वर्ग के व्यक्तियों ने कब्जा (अतिक्रमण) किया हुआ है.....?

तहत पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का तारीखी 13.4.2022 का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है –

> ".....आज दिनांक 13.4.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब भरतपुर के आदेश कंमांक रीडर/2/2021/605 दिनांक 11.4.2022 की पालना में ग्रांम उंदरा के आराजी खसरा नम्बर 316 रकवा 0.74 है के मौके पर पहुचा, उक्त खसरा नम्बर मौके पर वर्तमान में खाली पडा है, जोत नहीं लगी हुई है, पूछताछ से उपस्थित लोगो ने बताया कि पिछली सम्वत रवि 2078 में उक्त खसरा नम्बर 316 पर गेहू की फसल बोई गई थी तथा इस फसल को काश्त करने वाले मोहनसिह, किशनसिंह पिसरान सम्पतराम जाति जाट निवासी उंदरा बताये गये हैं .....।"

जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 ग्रांम उंदरा के विवादित आराजी खसरा नम्बर 316/0.74 है. के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट और रेस्पो सहखातेदार दर्ज हैं। यानि प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से के मुताबिक फसल काश्त करने का अधिकार है। अपीलान्ट सर्वण जाति में आते हैं तथा रेस्पो अनुसुचित जाति के सदस्य हैं। रिपोर्ट पटवारी पर गौर करें तो यह स्पष्ट आता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 316/0.74 के सम्पूर्ण हिस्से पर अपीलान्ट सर्वण जाति के लोगों का कब्जा है और फसल करते हैं। इससे यह तो

.....4

निर्विवाद है कि रेस्पो अनुसुचित जाति के हिस्से आराजी पर भी अपीलान्टान ने कब्जा (अतिक्रमण) किया हुआ है, और उन्हें काश्त नहीं करने देते हैं। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर